

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प्र.9(01) राज/वाद/88 पार्ट-11

जयपुर दिनांक: 04/12/2023

::आदेश::


श्री महेन्द्र सिंह सिंघवी, महाधिवक्ता, राजस्थान के द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दिये जाने के परिणामस्वरूप एवं उक्त पद पर नवीन नियुक्ति होने या अग्रिम आदेश, जो भी पहले हो तक, राज्य सरकार की ओर से विचाराधीन प्रकरणों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में श्री कार्तिक लोढा, जूनियर अधिवक्ता व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ में श्री शीतांशु शर्मा, जूनियर अधिवक्ता को पैरवी करने हेतु एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।

हू-

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि विभाग।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/जिलाधीश/विभागाध्यक्ष/सचिवालय के समस्त विभाग।
5. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।
6. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
7. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
8. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
9. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. लेखा शाखा, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
- ✓ 11. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।


04/12/23
(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि